पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–7] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2006 ई0 (कार्तिक 27, 1928 शक सम्वत्) [संख्या–46

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	457–467	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	145–147	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिप्रोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा अनुभाग–3

कार्यालय ज्ञाप

11 फरवरी, 2005 ई0

संख्या 75/XXVIII–3–2005–04/2004 सी0एम0–तात्कालिक प्रभाव से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैजनाथ, जनपद बागेश्वर का नाम परिवर्तित कर "मोहन सिंह मेहता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैजनाथ, जनपद बागेश्वर" किया जाता है।

आज्ञा से,

एस0 के0 दास,
प्रमुख सचिव।

वित्त विभाग

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2006 ई0

संख्या 742/XXVII(8)/वाणिज्य कर (वैट)/2006–चूंकि, राज्य सरकार की राय है कि राज्य में माल आयात किये जाने के पश्चात् राज्य में उनकी बिक्री के सम्बन्ध में उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन देय कर तथा अन्य देयों के अपवंचन को रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एवं पूर्व अधिसूचना संख्या 489/XXVII(8)/वाणिज्य कर (वैट)/2006, दिनांक 27–06–2006 के क्रम में राज्यपाल, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित जांच चौकियों की स्थापना निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर करने का सहर्ष निर्देश करते हैं, जिनमें से क्रमांक 1 पर उल्लिखित जांच चौकी, अर्थात, कुल्हाल की स्थापना की तारीख पूर्व अधिसूचना दिनांक 27–06–2006 से प्रभावी होगी तथा क्रमांक 2 पर उल्लिखित जांच चौकी, यथा, अमरपुर की स्थापना इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी :–

अनुसूची

क्र0सं0	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	गांव/कस्बा या नगर का नाम, जिसके निकट जांच चौकी स्थापित की जायेगी	निकटतम नगर का नाम तथा उससे जांच चौकी की दूरी
1	2	3	4	5
1.	देहरादून	देहरादून से पौंटासाहिब (राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 72)	कुल्हाल	देहरादून से 43 से 44 कि0मी0 के मध्य देहरादून–पौंटासाहिब सम्पर्क मार्ग पर।
2.	हरिद्वार	भगवानपुर से गागलहेड़ी	अमरपुर	भगवानपुर से 5 से 6 कि0मी0 के मध्य गागलहेड़ी मार्ग पर।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 742/XXVII(8)/Vanijya Kar (VAT)/2006,** dated October 12, 2006 for general information :

NOTIFICATION

October 12, 2006

No. 742/XXVII(8)/Vanijya Kar (VAT)/2006--WHEREAS, the State Government is of the opinion that it is necessary so to do with a view to preventing evasion of tax and other dues payable under the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005, in respect of the sale of goods within the State after their import into the State;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 47 of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005, and in continuation of previous notification no. 489/XXVII(8)/Vanijya Kar (VAT)/2006, dated 27 June, 2006, the Governor is pleased to direct the establishment of the following check posts in the State of Uttaranchal at the places specified in the table below, of which the establishment of the check post at serial no. 1, namely, Kulhal shall be effective from the date of previous notification dated 27.06.2006 and the establishment of the check post at serial no. 2, namely, Amarpur shall be effective from the date of this notification :--

TABLE

Sl. No.	Name of the district	Name of the road	Name of the village/town or city near which checkpost will be established	Name of the nearest city and distance of checkpost therefrom
1	2	3	4	5
1.	Dehradun	Dehradun to Pontasahib (National Highway 72)	Kulhal	Between 43 to 44 km from Dehradun--Pontasahib road
2.	Hardwar	Bhagwanpur to Gagalheri	Amarpur	Between 5 to 6 km on Gagalheri road.

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2006 ई०

संख्या 814/XXVII(8)/वाणिज्य कर (वैट)/2006–चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–I में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुसूची–I की क्रम संख्या 64 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी:–

65. मेडिकल ऑक्सीजन।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 814/XXVII(8)/Vanijay Kar (VAT)/2006,** dated October 12, 2006 for general information :

NOTIFICATION

October 12, 2006

No. 814/XXVII(8)/Vanijya Kar (VAT)/2006--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttaranchal), the Governor is pleased to allow to make with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette the following amendment in Schedule-I of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005:--

After the existing entry at serial no. 64 of Schedule-I the following entry shall be added:--

65. Medical Oxygen.

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2006 ई०

संख्या 815/XXVII(8)/वाणिज्य कर (वैट)/2006—चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची—II (ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

अनुसूची—II (ख) की क्रम संख्या 134 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी:—

135. औद्योगिक ऑक्सीजन।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 815/XXVII(8)/Vanijya Kar (VAT)/2006,** dated October 12, 2006 for general information :

NOTIFICATION

October 12, 2006

No. 815/XXVII(8)/Vanijya Kar (VAT)/2006--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttaranchal), the Governor is pleased to allow to make with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette the following amendment in Schedule-II (B) of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005:--

After the existing entry at serial no. 134 of Schedule-II (B) the following entry shall be added:--

135. Industrial Oxygen.

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2006 ई0

संख्या 816/XXVII(8)/वाणिज्य कर (वैट)/2006—चूंकि, राज्य सरकार की राय है कि राज्य में माल आयात किये जाने के पश्चात् राज्य में उनकी बिक्री के सम्बन्ध में उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन देय कर तथा अन्य देयों के अपवंचन को रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल पूर्व अधिसूचना संख्या 489/XXVII(8)/वाणिज्य कर (वैट)/2006, दिनांक 27—06—2006 में इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 27—06—2006 की अनुसूची में क्रमांक 1 की विद्यमान प्राविष्टि के स्थान पर स्तम्भवार निम्नलिखित प्राविष्टि रख दी जायेगी—

अनुसूची

क्र0सं0	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	गांव/कस्बा या नगर का नाम, जिसके निकट जांच चौकी स्थापित की जायेगी	निकटतम नगर का नाम तथा उससे जांच चौकी की दूरी
1	2	3	4	5
1.	हरिद्वार	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 73	चौली	रुड़की से छुटमलपुर की ओर 18 से 19 कि0मी0 के मध्य।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 816/XXVII(8)/Vanijya Kar (VAT)/2006,** dated October 12, 2006 for general information :

NOTIFICATION

October 12, 2006

No. 816/XXVII(8)/Vanijya Kar (VAT)/2006--WHEREAS, the State Government is of the opinion that it is necessary so to do with a view to preventing evasion of tax and other dues payable under the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005, in respect of the sale of goods within the State after their import into the State;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 47 of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005, the Governor is pleased to allow to make with effect from the date of this notification the following amendment in previous notification no. 489/XXVII(8)/Vanijya Kar (VAT)/2006, dated 27 June, 2006.

AMENDMENT

In the Table of the said notification dated 27.06.2006 for the existing entry at Sl. No. 1, the following entry shall columnwise be substituted, namely--

Table

Sl. No.	Name of the district	Name of the road	Name of the village/town or city near which checkpost will be established	Name of the nearest city and distance of checkpost therefrom
1	2	3	4	5
1.	Hardwar	National Highway 73	Cholly	Between 18 to 19 km from Roorkee to Chhutmalpur.

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2006 ई0

संख्या 817/XXVII(8)/वाणिज्य कर (वैट)/2006—चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय में विद्यमान अधिसूचना संख्या 50/वि0व्या0क0/2000, दिनांक 26 दिसम्बर, 2000 का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तरांचल राज्य में कारोबार का अपना स्थान रखने वाले किसी व्यापारी द्वारा माल की बिक्री पर कर की छूट, उत्तर प्रदेश राज्य में कारोबार का अपना स्थान रखने वाले विनिर्माता व्यापारी को उपलब्ध कर से छूट या उसकी दर में कमी की सीमा तक की छूट, ऐसे माल की बिक्री पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष अनुमन्य करते हैं, अर्थात्:—

(1) ऐसे माल के विनिर्माण के लिये उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4—क के अधीन जारी पात्रता प्रमाण—पत्र (जिसकी विधि मान्यता 9 नवम्बर, 2000 के पूर्व से प्रारम्भ हो) रखने वाली उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किसी इकाई में ऐसी वस्तुएं विनिर्मित की जाती हों;

(2) छूट की अवधि के भीतर या उस अवधि के भीतर जिसमें छूट की 05 प्रतिशत वित्तीय सीमा का उपभोग कर लिया गया हो, वस्तुओं के विनिर्माण के पश्चात् ऐसी वस्तुओं को प्रथम बार उत्तर प्रदेश राज्य में कारोबार का अपना स्थान रखने वाले विनिर्माता द्वारा बिक्री से भिन्न अन्तरण के द्वारा राज्य में उन्हें लाने के पश्चात् बेचा जाये;

(3) उत्तर प्रदेश राज्य के कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र को राज्य के कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये जिसमें यह इंगित हो कि विनिर्माता को उपलब्ध छूट की समग्र सीमा से ऐसी धनराशि को घटा दिया गया है;

(4) यदि खण्ड (3) में निर्दिष्ट प्रमाण—पत्र मिथ्या पाया जाय तो छूट वापस ले ली जायेगी।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पांडे,
प्रमुख सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 817/XXVII(8)/Vanijya Kar (VAT)/2006,** dated October 12, 2006 for general information :

NOTIFICATION

October 12, 2006

No. 817/XXVII(8)/Vanijya Kar (VAT)/2006--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttaranchal) and in supersession of existing Notification No. 50/Vitta Vyapar Kar/2000, dated 26 December, 2000, the Governor is pleased to allow from the date of publication of this Notification in the official Gazette, a rebate of tax on the sale of goods by any dealer having his place of business in the State of Uttaranchal to the extent of exemption from or reduction in the rate of tax available to the manufacturing dealer having his place of business in the State of Uttar Pradesh on the sale of such goods, subject to the following conditions, namely :—

(1) Such goods are manufactured in a unit established in the State of Uttar Pradesh having eligibility certificate (validity commencing prior to November 9, 2000) issued under section 4-A of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 for the manufacture of such goods;

(2) Such goods are sold for the first time after their manufacture within the period of exemption or within the period in which 05 percent monitory limit of exemption has been availed, whichever is earlier, after bringing them into the State by way of transfer otherwise than by way of sale by manufacturer having his place of business in the State of Uttar Pradesh;

(3) Certificate issued by the assessing authority of the State of Uttar Pradesh is produced before the assessing authority of the State indicating therein that the amount has been reduced in the overall limit of exemption available to the manufacturer;

(4) Rebate shall be withdrawn, if the certificate referred to in clause (3) is found false.

By Order,

INDU KUMAR PANDE,
Principal Secretary, Finance.

न्याय विभाग

अधिसूचना

प्रकीर्ण

23 अक्टूबर, 2006 ई०

संख्या 1031/XXXVI(1)/06–112–एक/03–साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय की संस्तुति पर जनपद पिथौरागढ़ में स्थित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को तात्कालिक प्रभाव से काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर में स्थानान्तरित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

वित्त अनुभाग–6

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

26 अक्टूबर, 2006 ई०

संख्या 362/XXVII(6)/2006–तात्कालिक प्रभाव से स्थानीय निधि लेखापरीक्षा प्रभाग, निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवाएं सह स्टेट इन्टरनल ऑडिटर, उत्तरांचल के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक, वेतनमान रु० 12000–375–16500 के पद पर कार्यरत श्री मोहन राम आर्य, को नियमित चयनोपरांत अपर निदेशक, वेतनमान रु० 16400–450–20000 में उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से

राधा रतूड़ी,
सचिव।

सहकारिता अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप (संशोधित)

02 नवम्बर, 2006 ई0

संख्या 930/XIV–1/सह0/2006–शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–818/XIV–1/सह0/2006, दिनांक 10 अक्टूबर 2006 में त्रुटिवश आदेश के प्रस्तर–6 के बिन्दु–1 में "क्षेत्रीय उपनिबन्धक द्वारा दिनांक 19.12.1978 के स्थान पर 8 मार्च 2000 तथा अन्तिम प्रस्तर–7 में" श्री उप्रेती को अपर निबन्धक (प्रशासन) सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश लखनऊ के उक्त आदेश दिनांक 8–3–2000 के स्थान पर दिनांक 8–3–2002 टंकित हो गया है।

अतः इस सम्बन्ध में निदेश हुआ है कि उक्त आदेश में अंकित आदेश के प्रस्तर–6 के बिन्दु–1 में "क्षेत्रीय उप निबन्धक द्वारा 8 मार्च 2000 को तदर्थ व्यवस्था में पदोन्नत किया गया था" में अंकित "8 मार्च 2000" के स्थान पर "दिनांक 19.12.1978" तथा प्रस्तर–8 में अंकित श्री उप्रेती को अपर निबन्धक (प्रशासन) सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के उक्त आदेश दिनांक "8–3–2002" के स्थान पर "8–3–2000" पढ़ा जाय।

यह आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव।

संख्या : 3912/VII–1–06/204–ख/2004

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 07 नवम्बर, 2006

विषय–पर्वतीय क्षेत्रों में निजी भवनों के निर्माण/मरम्मत आदि के लिए निर्माण सामग्री के निःशुल्क खदान/चुगान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युकत विषयक शासनादेश संख्या : 500/औ0वि0–204 ख/2004, दिनांक 08 फरवरी, 2005 का अतिक्रमण करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को उनके निजी भवनों के निर्माण/मरम्मत आदि के लिए निर्माण सामग्री सरलता तथा सहजता से निःशुल्क उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपखनिज नीति–2001 में निम्नानुसार संशोधन जारी किये जाते हैं :–

1. पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामवासियों को अपने निजी भवन निर्माण एवं उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक अधिकतम 150 घनमीटर निर्माण सामग्री का खदान/चुगान निःशुल्क कर सकेंगे अर्थात इसके लिये उन्हें राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की परमिट फीस एवं रायल्टी आदि का कोई भुगतान नहीं करना होगा।
2. स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ऐसे ग्रामवासियों (आवेदक) को उत्तरांचल उप खनिज (परिहार) नियमावली के नियम 56 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–8 में आवेदन सम्बन्धित तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
3. उक्त निर्माण सामग्री का खदान/चुगान प्रारम्भ करने की आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे :–

3.1 ग्राम प्रधान का प्रमाण–पत्र कि आवेदक उस ग्राम का निवासी है तथा वह अपना निजी भवन निर्माण कर रहा है/भवन की मरम्मत आवश्यक है।

3.2 भवन निर्माण/मरम्मत हेतु निर्माण सामग्री की आवश्यक मात्रा के सम्बन्ध में कारीगर के इस्टीमेट।

3.3 आवेदक द्वारा निर्माण सामग्री का खदान/चुगान अपनी जिस निजी नापभूमि से किया जाना प्रस्तावित है, उसका खसरा मानचित्र व खसरा खतौनी विवरण।

4. आवेदक की स्वयं की निजी नापभूमि में वांछित निर्माण सामग्री उपलब्ध न होने की दशा में उस व्यक्ति का नाम व खाता खतौनी संख्या आदि मय उसकी लिखित सहमति, जिससे निर्माण सामग्री का खदान/चुगान किया जायेगा।

4.1 आवेदक का शपथपत्र कि प्रस्तावित भवन स्वयं की निजी उपयोग हेतु प्रयुक्त होगा तथा उसका किसी भी प्रकार से व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

4.2 वाहन का प्रकार जिसके द्वारा खनिज का परिवहन किया जायेगा तथा वाहन के खनिज भरने की क्षमता सूचित की जायेगी।

5. आवेदक से प्रपत्र एम0एम0–8 में आवेदन मय उपरोक्त उल्लिखित अभिलेखों के प्राप्त होने के पश्चात् तहसीलदार द्वारा आवेदन की प्रविष्टि निर्धारित लेखा पंजिका में कराकर आवेदन की जांच करते हुए एक सप्ताह में अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।

6. इस प्रकार के अनुज्ञापत्र एक व्यक्ति को अथवा संयुक्त परिवार के किसी एक सदस्य को दो वर्ष में एक बार से अधिक अनुमन्य नहीं होगा।

7. कोई भी स्वीकृति जारी करने की दिनांक से अधिकतम तीन माह हेतु मान्य होगी।

8. स्वीकृति जारी करने के साथ ही तहसीलदार द्वारा स्वीकृत निर्माण सामग्री की स्वीकृत मात्रा हेतु आवश्यक प्रपत्र एम0एम0–11 आवेदक को जारी किये जायेंगे। प्रपत्र एम0एम0–11 की संख्या का निर्धारण निर्माण सामग्री के परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहन के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। जैसे यदि आवेदक को 80 घनमीटर निर्माण सामग्री हेतु स्वीकृति जारी की गयी हो तथा आवेदक द्वारा निर्माण सामग्री का परिवहन 8 घनमीटर क्षमता वाले वाहन से किया जाना हो तो उसे 10 रवन्ने जारी किये जायेंगे।

9 आवेदक द्वारा स्वीकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से निर्माण सामग्री का खदान/चुगान करते हुए पाये जाने पर उससे खनिज का मूल्य वसूल किया जा सकेगा।

10. आवेदक द्वारा स्वीकृत मात्रा का खदान/चुगान निर्धारित अवधि से पहले ही पूर्ण कर लेने पर तहसीलदार को लिखित में तद्नुसार सूचना करनी होगी।

11. यदि ग्रामवासी निर्माण सामग्री खनन/चुगान करने हेतु अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के स्थान पर राजकीय निगमों से निर्माण सामग्री क्रय करना चाहें तो इसके लिए उन्हें ग्राम प्रधान का प्रमाण–पत्र कि आवेदक उस ग्राम का निवासी है तथा वह अपना निजी भवन निर्माण कर रहा है/भवन की मरम्मत आवश्यक है। भवन निर्माण/मरम्मत हेतु निर्माण सामग्री की आवश्यक मात्रा के सम्बन्ध में कारीगर के इस्टीमेट, आवेदक द्वारा निर्माण सामग्री का खदान/चुगान अपनी जिस निजी नापभूमि से किया जाना प्रस्तावित है, उसका खसरा मानचित्र व खसरा खतौनी विवरण सादे कागज पर आवेदन तहसीलदार को देना होगा जिसको जांच के पश्चात् तहसीलदार निकटस्थ कार्यरत निगम को वांछित निर्माण सामग्री की आपूर्ति बिना रायल्टी व किसी प्रकार के अन्य शुल्क के आवेदक को निर्गत करने हेतु आदेश जारी करेंगे।

12. निगमों द्वारा इस प्रकार ग्रामवासियों को निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी निर्माण सामग्री पर देय रायल्टी एवं अन्य शुल्क पर राज्य सरकार द्वारा छूट दी जावेगी।

13. ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा उपरोक्त सुविधा प्रदान किये जाने हेतु संशोधित खनिज नीति–2001 के शासनादेश संख्या 3948/औ0वि0–22 ख/2001, दिनांक 17 अक्टूबर, 2002 के प्रस्तर–2.5 की बाध्यता नहीं होगी।

भवदीय,
संजीव चोपड़ा,
सचिव।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

01 नवम्बर, 2006 ई0

संख्या 471/06–XIX–2/145/2004–लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से वितरण किये जा रहे खाद्यान्न के मानक, मूल्य एवं गुणवत्ता तथा राशन कार्डों के मूल्यांकन एवं योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन के दृष्टिगत नियत अवधि में मूल्यांकन हेतु पंचायत, ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर भारत सरकार के निर्देशानुसार गठित सतर्कता समितियों विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 1294/06–XIX–2/145/2004, दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 के अनुक्रम में श्री टीकाराम शाह, सदर बाजार चकराता, देहरादून को राज्य स्तरीय सतर्कता समिति में उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया जाता है।

कार्यालय ज्ञाप

03 नवम्बर, 2006 ई0

संख्या 474/06–XXI–2/145 खाद्य/2004–खाद्य अनुभाग, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 471/06/XIX–2/145/2004, दिनांक 01 नवम्बर, 2006 के अनुक्रम में राज्य में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से वितरण किये जा रहे खाद्यान्न के मानक, मूल्य एवं गुणवत्ता तथा राशन कार्डों के मूल्यांकन एवं योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन के दृष्टिगत नियत अवधि में मूल्यांकन हेतु गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति में उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत श्री टीका राम शाह, सदर बाजार, चकराता, देहरादून को राज्यमंत्री स्तर दिए जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित वेतन/भत्ते/स्टाफ व अन्य सुविधायें अनुमन्य होंगी :–

(1) उक्त महानुभाव को रुपये 2,500/– प्रतिमाह मानदेय देय होगा।

(2) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उक्त महानुभाव को ड्राईवर सहित एक स्टाफ कार, कार्यालय व आवास पर एक–एक टेलीफोन, एक निजी सचिव, एक वैयक्तिक सहायक एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्राप्त होंगे। स्टाफ की पूर्ति विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध कार्मिकों से और विभाग के अन्तर्गत कार्मिक उपलब्ध न होने की दशा में स्थानीय रोजगार कार्यालय से अर्ह अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त करते हुए चयन के माध्यम से समवर्ती (Coterminous) के रूप में नियमानुसार की जायेगी। उक्त नियुक्तियां किसी भी दशा में सम्बन्धित महानुभाव के अपने सम्बन्धित पद पर न रहने के पश्चात् आगे नहीं बढ़ायी जायेंगी। स्टाफ कार के लिए प्रतिमाह अधिकतम 150 लीटर ईंधन अनुमन्य होगा।

(3) आवास उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार उच्चादेश प्राप्त करके सम्बन्धित विभाग द्वारा आदेश जारी किए जायेंगे। सरकारी आवास प्राप्त न होने पर उक्त महानुभाव को रुपये 500/– प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता देय होगा।

(4) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में रेल द्वारा यात्रा करने पर उक्त महानुभाव को उपलब्ध उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ तथा वायुयान द्वारा यात्रा की स्थिति में एक सीट अनुमन्य होगी।

(5) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गयी यात्राओं के संबंध में मुख्यालय वहीं माना जायेगा, जहां सम्बन्धित समिति का कार्यालय होगा। मुख्यालय से बाहर ऐसी यात्राओं में रुपये 250/– प्रतिदिन के अनुसार दैनिक भत्ता देय होगा। श्री शाह ऐसी यात्राओं के यात्रा बिलों के लिए स्वयं नियंत्रक प्राधिकारी होंगे।

(6) उक्त महानुभाव को सुरक्षा के लिए एक अंगरक्षक उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उक्त महानुभाव और उनके परिवार के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों में निःशुल्क आवास, उन सिद्धान्तों के अनुसार जो राज्य मंत्री के लिए विहित किये गये हों, चिकित्सा परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे। परिवार से तात्पर्य सम्बन्धित महानुभाव की पत्नी/पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन जो स्तर प्राप्त महानुभाव के साथ रहते हों और उन पर पूर्णरूप से आश्रित हों।

(8) मानेदय/वेतन/वाहन/पर्सनल स्टाफ/टेलीफोन/यात्रा भत्ता आदि का व्यय भार उपरोक्त समिति द्वारा वहन किया जायेगा।

(9) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गयी यात्राओं के दौरान उक्त महानुभाव को किसी किराये या प्रभार का भुगतान किए बिना सर्किट हाउस या अन्य सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे अवसरों पर जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक दौरे से सम्बन्धित व्यवस्था के लिए उत्तरदायी न होंगे तथा उनकी उपस्थिति अनिवार्य न होगी। स्थानीय सद्भाव सम्बन्धित समिति के स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा।

2. यह आदेश गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के अशासकीय संख्या–96/XXI/2006, दिनांक 02 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

एम0 सी0 उप्रेती,
अपर सचिव।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

शुद्धि पत्र

02 नवम्बर, 2006 ई0

संख्या 1959/XXXVIII(1)/06–173–वि0प्रौ0/2005–अधिसूचना संख्या–411/XXXVIII(1)/06–173–वि0प्रौ0/ 2005, दिनांक 25 जुलाई, 2006 जिसके द्वारा उत्तरांचल अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, देहरादून (U-SAC) की विभागीय संरचना गठित की गयी है, को निम्नवत् संशोधित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

समसंख्यक अधिसूचना संख्या 25–07–2006 के प्रस्तर–2 के क्रम संख्या–9 में उल्लिखित पुस्तकालय सहायक ग्रेड–बी पद के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित वेतनमान 4000–6000 के स्थान पर वेतनमान रुपये 5000–8000 पढ़ा जाये।

2–उक्त अधिसूचना केवल उपरोक्त सीमा तक ही संशोधित समझी जाये।

आज्ञा से,

आर0 के0 चौहान,
अनुसचिव।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

कार्यालय ज्ञाप

23 अक्टूबर, 2006 ई0

संख्या 1572/VIII/89–प्रशि0/2006–एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से जनहित में श्री जे0एम0 नेगी, उप प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक), देहरादून को प्रधानाचार्य श्रेणी–2 के पद पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर, पौड़ी स्थानान्तरित किया जाता है।

2. श्री नेगी, प्रधानाचार्य श्रेणी–2 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर, पौड़ी के पद के दायित्वों का निर्वहन करते हुये प्रधानाचार्य श्रेणी–2, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जनपद रुद्रप्रयाग का कार्यदायित्व भी अतिरिक्त रूप से निर्वहन करेंगे, इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

3. श्री नेगी को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय होंगे।

आर0 के0 चौहान,
अनुसचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 46 हिन्दी गजट/581–भाग 1–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2006 ई0 (कार्तिक 27, 1928 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तरांचल

(फार्म अनुभाग)

विज्ञप्ति

02 अगस्त, 2006 ई0

पत्रांक 1387/आयु0क0उत्तरां0/वाणि0कर/फार्म अनु0/दे0दून–2006–2007–उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम–30 के उपनियम–13 के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0–905, दिनांक 26–06–2006 के क्रम में एतद्द्वारा विज्ञापित किया जाता है कि नियम–26 के उपनियम–3 में निर्धारित आयात के लिए घोषणा पत्र (प्ररूप–16) सीरीज सं0 U.A.VAT-A 2005, क्रम सं0 000001 एवं उससे आगे तक के तब तक प्रचलित रहेंगे जब तक कि वे इस कार्यालय की किसी विज्ञप्ति के द्वारा अवैध अथवा अप्रचलित घोषित न कर दिये जायें।

उक्त सीरीज एवं क्रमांक के प्ररूप–16 जांच चौकियों पर इसकी उपरोक्त वैधता एवं प्रचलन की अवधि में स्वीकार किये जाते रहेंगे।

विज्ञप्ति

02 अगस्त, 2006 ई0

पत्रांक 1388/आयु0क0उत्तरां0/वाणि0कर/फार्म अनु0/दे0दून–2006–2007–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तरांचल) नियमावली, 1957 के नियम–8 (14) में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत एतद्द्वारा विज्ञापित किया जाता है कि केन्द्रीय बिक्रीकर (रजिस्ट्रेशन एवं टर्नओवर) नियमावली, 1957 के नियम–12 में निर्धारित केन्द्रीय घोषणा–पत्र (फार्म–एफ) सीरीज सं0 U.A.VAT-F 2005–D क्रम सं0 000001 एवं उससे आगे तत्काल प्रभाव से प्रचलन में आ जायेंगे। वर्तमान में प्रचलित U.A./F/2004--C सीरीज के फार्म–एफ भी प्रचलन में तब तक बने रहेंगे जब तक कि वे इस कार्यालय की किसी विज्ञप्ति से अवैध घोषित न कर दिये जायें।

नये सीरीज के फार्म–एफ पुरानी सीरीज U.A./F/2004--C की तरह ही छपे हुए हैं और इसमें उसी प्रकार के 04 सिक्योरिटी फीचर्स रखे गये हैं परन्तु पूर्व प्रचलित फार्म–एफ में जहां रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र संख्या लिखा है, उसके स्थान पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र/टिन संख्या छपी हुई है। इसके सम्बन्ध में 11 अंकों में संख्या भरने के लिए 11 बॉक्स बनाये गये हैं। यह फार्म दो रंगों में छपा हुआ है और इसका साइज़ तीनों प्रतियां मिलाकर 40 से0मी0 × 28 से0मी0 है और यह 70 G.S.M. के वाटर मार्क मैकलीथो पेपर पर मुद्रित है।

विज्ञप्ति

29 सितम्बर, 2006 ई0

पत्रांक 3083/आयु0क0उत्तरां0/वाणि0कर/फार्म अनु0/दे0दून–2006–2007–इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 4482/वाणि0क0/फार्म–अनु0/आ0घो0प0/2005–06/आयु0क0उत्तरां0/दे0दून, दिनांक 13–03–2006 द्वारा आयात घोषणा पत्र (निर्माता) की सीरीज संख्या यू0एम0/ई0–2005 (क्रमांक 000001 से 210000 तक) को विज्ञप्ति के निर्गत होने की तिथि से दिनांक 30–06–2006 तक प्रचलित घोषित किया गया था। पुनः इस कार्यालय की विज्ञप्ति सं0 903/वाणि0क0/फार्म–अनु0/आ0घो0प0/2006–07/आयु0क0उत्तरां/दे0दून, दिनांक 26–06–2006 द्वारा उक्त सीरीज के आ0घो0प0 दिनांक 30–09–2006 तक प्रचलित घोषित किया गया था। अतः आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त क्रमांक एवं सीरीज के आयात घोषणा पत्र (निर्माता) अब दिनांक 31–12–2006 तक वैध रहेंगे, और राज्य की जांच चौकियों पर दिनांक 31–12–2006 की मध्य रात्रि तक स्वीकार किये जाते रहेंगे।

विज्ञप्ति

29 सितम्बर, 2006 ई0

पत्रांक 3084/आयु0क0उत्तरां0/वाणि0कर/फार्म अनु0/दे0दून–2006–2007–इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 4750/वाणि0क0/फार्म–अनु0/2005–06/आयु0क0उत्तरां0/दे0दून, दिनांक 31–03–2006 द्वारा व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रचलित फार्म 3–ख जो (वैट के अन्तर्गत फार्म–11) एवं व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रचलित फार्म–32 (जो वैट के अन्तर्गत फार्म 17) को दिनांक 30–06–2006 तक प्रचलित घोषित किया गया था। पुनः इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 1060 वाणि0क0/फार्म–अनु0/2006–07/आयु0क0उत्तरां/दे0दून, दिनांक 06–07–2006 द्वारा उक्त फार्म दिनांक 30–09–2006 तक प्रचलित घोषित किया गया था। अतः आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त फार्म–3 ख एवं फार्म–32 अब दिनांक 31–12–2006 तक की मध्य रात्रि तक वैध रहेंगे।

विज्ञप्ति

29 सितम्बर, 2006 ई0

पत्रांक 3085/आयु0क0उत्तरां0/वाणि0कर/फार्म अनु0/दे0दून–2006–2007–इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 4481/वाणि0क0/फार्म–अनु0/आ0घो0प0/2005–06/आयु0क0उत्तरां0/दे0दून, दिनांक 13–03–2006 द्वारा आयात घोषणा पत्र (ट्रेडर्स) की सीरीज संख्या यू0एम0डी0–2005 (क्रमांक 000001 से 170000 तक) को विज्ञप्ति के निर्गत होने की तिथि से दिनांक 30–06–2006 तक प्रचलित घोषित किया गया था। पुनः इस कार्यालय की विज्ञप्ति सं0 904/वाणि0क0/फार्म–अनु0/आ0घो0प0/2006–07/आयु0क0उत्तरां/दे0दून, दिनांक 26–06–2006 द्वारा उक्त सीरीज के आ0घो0प0 दिनांक 30–09–2006 तक प्रचलित घोषित किया गया था। अतः आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त क्रमांक एवं सीरीज के आयात घोषणा पत्र (ट्रेडर्स) अब दिनांक 31–12–2006 तक वैध रहेंगे, और राज्य की जांच चौकियों पर दिनांक 31–12–2006 तक की मध्य रात्रि तक स्वीकार किये जाते रहेंगे।

विज्ञप्ति

29 सितम्बर, 2006 ई0

पत्रांक 3090/आयु0 क0 उत्तरां0/फार्म–अनु0/2006–2007/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 (यथा उत्तरांचल में लागू) के नियम–85 के उपनियम (12) सहपठित उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर अध्यादेश, 2005, नियम 31(8) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं, आयुक्त कर, उत्तरांचल, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र/फार्म सी/फार्म एफ/जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 85 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए आ0घो0प0/फार्म–एफ की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए आ0घो0 पत्रों का क्रमांक
1	2	3	4
1.	सर्वश्री भगवती ऑटोमोबाइल्स गोरापडाव, हल्द्वानी	फार्म एफ–01 आ0घो0प0–01	UAF/2004–022002 UMD/2005–124872

एस0 रामास्वामी,
आयुक्त कर,
उत्तरांचल, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 46 हिन्दी गजट/581–भाग 1–क–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।